

समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा, सीएम योगी ने किया 'रोड टू स्कूल' का शुभारंभ




सवादादाता-गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की संवेक प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा सत्य व समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बिना नागरिक मुक्त और जीवन सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर के चरगावाड़ा ब्लॉक के लिए नियुक्त भारत मिशन के तहत प्रदेश में 'रोड टू स्कूल' के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। चरगावाड़ा ब्लॉक के एक रिजोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिजोर्ट परिसर और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने और जोड़ें हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिजोर्ट परिसर और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने और जोड़ें हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

सीएम ने सुनी फरियाद, भूमाफियाओं को जेल भेजने के लिए निर्देश



सवादादाता-गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया, दवांगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गरीबों की जमीन तो बचाई जाए, साथ ही जिन भी जरूरतमंदों को अभी पकड़ा मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम के दायरे में लाकर पकड़े जावें। सीएम योगी ने उक्त निर्देश

दिलवाते हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिजोर्ट परिसर और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने और जोड़ें हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिजोर्ट परिसर और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने और जोड़ें हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिजोर्ट परिसर और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने और जोड़ें हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, बढनी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक-खोशिओ0/नीलामी प्रेविड/191/94/2024-25 दिनांक- 17.08.2024

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के कार्यालय पत्रांक- एस०एस०००/ निर्माण/3272-77/2024-25 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा विकास खण्ड-बढनी सिद्धार्थनगर के विद्यालय कम्पोजिट खेरी शीतल प्रसाद प्रा०वि० मूलव्यय प्रा०वि० रोमनदेई, मूलव्यय तथा उ०प्रा०वि० खेरा बाजार मूल बना को जारूर घोषित करते हुए। ब्लाक स्तरीय समिति को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में कम्पोजिट खेरी शीतल प्रसाद (न्यूनतम दर-40444.30), प्रा०वि० रोमनदेई (न्यूनतम दर-53645.40) तथा उ०प्रा०वि० खेरा बाजार (न्यूनतम दर-21758.10) की नीलामी दिनांक 22.08.2024 को स्थान कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, बढनी, सिद्धार्थनगर परसा स्टेशन विद्यालय के कैम्पस में होगी। नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत नकद रूप में नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था के पक्ष में भवन नीलामी के लिये अधिकृत होगा तथा शुभ समस्त व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस कर दी जायेगी।

खंड शिक्षा अधिकारी

बढनी सिद्धार्थनगर।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिजोर्ट परिसर और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने और जोड़ें हैं। यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर



क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

- नगर को स्वच्छ रखें, नगर आपका है।
- सड़कों तथा नाली नालों में कूड़ा-करकट न फेंकें, नगर को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग करें।
- समस्त प्रकार के पालीथीन बैग तथा थर्माकोल से निर्मित समस्त उत्पादों का प्रयोग न करें। यह शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा इसका उत्पादन प्रयोग परिवहन तथा भण्डारण करना संज्ञेय अपराध है, पकड़े जाने पर जुर्माना/सजा अथवा दोनों तरह से दण्डित किया जा सकता है।

स्वच्छ सिद्धार्थनगर सम्मानित सभासद

उमाशंकर अग्र नगर प्रमुख

डॉ. लालित मिश्रा उप-नििलाधिकारी

पवन अग्रवाल नििलाधिकारी

विद्यापाल अधिशाही अधिकारी

गोविंद माधव, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राथी चम्पन पुत्र स्वर्गीय श्री मत्तक ग्राम सेमरा चीगन पोस्ट- उमरिया थाना कलवारी, तहसील बस्ती सदर जनपद बस्ती का निवासी है। प्राथी के चार पुत्र राजेश, रवीश, मंडेश, उमेश और एक लक्ष्मी कुठु सोनारी है। मेरे पुत्र राजेश और रवीश का व्यवहार परिवार के प्रति ठीक नहीं है। आपे दिन बुढ़ाओं के साथ मिलकर कलह करते हैं। हम प्राथी मेरी पत्नी श्रीमती कुमारी को मारते-पीटते हैं और पैतृक जमीन को बेनामा कर देने की मांग करते हैं। इससे हम प्राथी और मेरा परिवार काफी परेशान है। इससे दुःखी होकर मैं अपने पुत्र राजेश, बहू गुन्ना और रवीश बहू संगीता को अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर रहा हूँ। अपने किसी भी कृत्य, लेन-देन, वाद विवाद आदि के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूँ कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

द० हाकिम

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) M.A.C.P.NO 36/2021 अदालत-श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती

अदालती नोटिस
सम्मान वारंटे कारावाह उमूर तनकीह तलय (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) वाद सं० 433/2022 अदालत-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती